न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 112/2026

विशाल कुमार गुप्ता पुत्र दिलीप गुप्ता ग्राम भोड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू पिनकोड 333032

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौड़जी

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 08.04.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 112/2026 पर दिनांक 12.03.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौड़जी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौड़जी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौड़जी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/703–704 दिनांक 12.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौड़जी ने पत्रांक आरटीआई/2026/105 दिनांक 02.04.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलार्थी का प्रथम आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्वयं आवेदक या आपके द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने वांछित सूचना नहीं मिलना जाहिर किया तथा सूचना दिलवाये जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौड़जी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ जिससे अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं दी जा सकी । अपीलार्थी ने हाजिर होकर सूचना नहीं मिलना जाहिर किया है। चुंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौड़जी को अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सूचना नही दी जा सकी ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौड़जी को अपीलार्थी का आवेदन संलग्न इस निर्देश के प्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना एक माह जरिए में रजिस्टर्ड डाक से निःशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं